



क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग, पुष्कर मार्ग,
अजमेर- 305004

By E-mail

दिनांक 17.08.2026

क्रमांक: 9-बी-1 / प्रवेश / 2026-27 /

विषय : द्वि-वर्षीय बी.एड. (विज्ञान समूह) प्रोग्राम में वर्ष 2026-27 के लिए प्रवेश के संबंध में।

पंजीकरण संख्या (कृपया पत्र व्यवहार हेतु अपना पंजीकरण संख्या अवश्य लिखें)

- आपको सूचित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र **2026-27** के लिए इस संस्थान में उपरोक्त प्रोग्राम में प्रवेश हेतु प्रतीक्षा सूची में Gen/OBC/SC/ST/EWS/PwD श्रेणी में आपका क्रम सं. संलग्न सूची अनुसार है।
- अस्थायी प्रतीक्षा सूची में से यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो संलग्न सूची के अनुसार आपकी राज्य/वर्ग इत्यादि में आपके अनन्तिम प्रवेश के लिए संस्थान स्तर पर ऑफलाइन काउंसलिंग (offline counselling) प्रक्रिया होगी जिसमें आपको निम्नानुसार भाग लेना होगा।
 - आप दिनांक **25.08.2026** को प्रातः **9.00** बजे इस संस्थान के कक्ष संख्या **102** में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिये उपस्थिति दर्ज करें। आपकी अनुपस्थिति में आपके प्रतिनिधी के उपस्थित होने पर तथा रिपोर्टिंग समय पश्चात् उपस्थित होने पर उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी तथा आपके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग के सम्बंध में किसी तरह की समस्या होने पर 0145-2643760 पर संपर्क करें।
 - ऑफलाइन काउंसलिंग के लिये निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को सत्यापन के लिये अपने साथ रखें।
 - CEE-2026 Online Application Form and Result Card (available on portal <cee.ncert.gov.in>
 - सैकेण्डरी परीक्षा अंकतालिका/सैकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र (जन्म तिथि हेतु)।
 - अर्हक/योग्यता परीक्षा (Qualifying Examination) की अंकतालिका व अन्य अंकतालिकाएँ यदि हैं।
 - जिस राज्य/संघ शासित क्षेत्र के Quota में प्रवेश चाहा गया है, उसमें आवेदक की पात्रता की वैधता की जांच हेतु आवश्यक दस्तावेज (क) पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का दस्तावेज यथा अंकतालिका/प्रमाण-पत्र या (ख) अधिवास (Domicile) प्रमाण-पत्र या (ग) नियोक्ता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - श्रेणी का वैध एवं नियमानुसार जारी प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई डब्ल्यू एस यदि आवश्यक हो), अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र में आवश्यक रूप से यह दर्शाया हुआ हो कि प्रार्थी Creamy layer से संबंधित नहीं है।
 - विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।
 - अंतिम स्कूल/कालेज का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र (T.C. & C.C.)।
 - वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूपानुसार अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
 - वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूपानुसार अभ्यर्थी को स्वयं व अभिभावक के हस्ताक्षर युक्त घोषणा/प्रतिबद्धता (Declaration/Undertaking) प्रस्तुत करना होगा।
 - अभ्यर्थी को स्वयं व अभिभावक के हस्ताक्षर युक्त वचनबद्धता (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि संस्थान में फेज़ वाइज़ निर्धारित उपस्थिति (Attendance) पूरी न होने पर अभ्यर्थी का छात्रावास या संस्थान या दोनों में प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
 - वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूपानुसार Anti-ragging घोषणा हेतु विद्यार्थी व अभिभावक के लिए क्रमशः आश्वासन (Undertaking by the Student) एवं प्रतिबद्धता (Undertaking by the Parent/Guardian) पत्र Oath Commissioner के हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक प्रारूप Annexure I एवं Annexure II के रूप में संलग्न है।
 - विद्यार्थी का पुलिस विभाग से प्रदत्त पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि संबंधित विद्यार्थी के विरुद्ध किसी तरह का मामला लम्बित नहीं है।
 - कुल परिवारिक (माता एवं पिता) की वित्तीय वर्ष 2025-26 का आय प्रमाण पत्र जो कि दिनांक 01.04.2026 या इसके बाद का जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। माता के गृहणी होने की दशा में पिता की ओर से एक दस रुपये के स्टाम्प पर एक शपथ-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि मेरी पत्नी गृहणी है और पूर्ण रूप से पति की आय पर निर्भर है। यह शपथ-पत्र नोटेरी द्वारा हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तुत किया जाना है।
 - विद्यार्थी के पाँच नवीनतम फोटो।
- (स) काउंसलिंग के तुरंत बाद निर्देशानुसार आपको फीस केवल ऑफलाइन माध्यम से दिनांक **25.08.2026** को सांय 4:00 बजे तक संस्थान के लेखाशाखा कमरा नं.01 में जमा करानी होगी। निर्धारित समय तक फीस जमा न कराने की स्थिति में आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। फीस का विवरण निम्नानुसार है:-

A. General/OBC/EWS Students : Rs.13,250/-

B. SC/ST/PH Students : Rs.8,250/-

नोट : कृपया निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें-

- छात्रावास से संबंधित फीस की प्रथम किस्त (रु.22,200/-) संबंधित विद्यार्थियों से प्रवेश के समय अथवा छात्रावास आवंटन पर वसूली जाएगी।
- विद्यार्थी एवं अभिभावक के लिए निर्धारित Anti-ragging वचनबद्धता/प्रतिबद्धता के अनुसार यह अपेक्षा है कि वे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर की वेबसाइट पर मौजूद रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण लगाने से संबद्ध यू.जी.सी. विनियम 2009 का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे।
- संस्थान में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को MoE के Anti-ragging portal पर भी पंजीयन करवाकर URID Number संस्थान को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

टिप्पणी : आपका अस्थायी प्रवेश रद्द माना जाएगा यदि-

- आपका कोई भी दस्तावेज जाली अथवा झूठा पाया गया।
- सत्र के दौरान किसी भी समय आपके आवेदन-पत्र में कोई भ्रामक कथन पाया गया अथवा तथ्यों को छिपाया गया।
- यदि आवेदक द्वारा CEE-2026 आवेदन फार्म में ऑनलाइन भरे हुए अंक अर्हक/योग्यता परीक्षा (Qualifying Examination) में प्राप्त अंकों में अपूर्ण/गलत प्रविष्टि होने पर।
- प्रवेश पश्चात् अपेक्षित फीस निर्धारित समय तक जमा नहीं कराने पर।
- सत्र के दौरान संस्थान में और बाहर आपका आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने पर।

प्राचार्य



क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग, पुष्कर मार्ग,
अजमेर- 305004

By E-mail

दिनांक 17.08.2026

क्रमांक: 9-बी-1 / प्रवेश / 2026-27 /

विषय : द्वि-वर्षीय बी.एड. (सामाजिक विज्ञान एवं भाषा समूह) प्रोग्राम में वर्ष 2026-27 के लिए प्रवेश के संबंध में।

पंजीकरण संख्या (कृपया पत्र व्यवहार हेतु अपना पंजीकरण संख्या अवश्य लिखें)

- आपको सूचित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र **2026-27** के लिए इस संस्थान में उपरोक्त प्रोग्राम में प्रवेश हेतु प्रतीक्षा सूची में Gen/OBC/SC/ST/EWS/PwD श्रेणी में आपका क्रम सं. संलग्न सूची अनुसार है।
- अस्थायी प्रतीक्षा सूची में से यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो संलग्न सूची के अनुसार आपकी राज्य/वर्ग इत्यादि में आपके अनन्तिम प्रवेश के लिए संस्थान स्तर पर ऑफलाइन काउंसलिंग (offline counselling) प्रक्रिया होगी जिसमें आपको निम्नानुसार भाग लेना होगा।
 - आप दिनांक **25.08.2026** को प्रातः **9.00** बजे इस संस्थान के कक्ष संख्या **102** में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिये उपस्थिति दर्ज करें। आपकी अनुपस्थिति में आपके प्रतिनिधी के उपस्थित होने पर तथा रिपोर्टिंग समय पश्चात् उपस्थित होने पर उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी तथा आपके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग के सम्बंध में किसी तरह की समस्या होने पर 0145-2643760 पर संपर्क करें।
 - ऑफलाइन काउंसलिंग के लिये निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को सत्यापन के लिये अपने साथ रखें।
 - CEE-2026 Online Application Form and Result Card (available on portal <cee.ncert.gov.in>
 - सैकेण्डरी परीक्षा अंकतालिका/सैकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र (जन्म तिथि हेतु)।
 - अर्हक/योग्यता परीक्षा (Qualifying Examination) की अंकतालिका व अन्य अंकतालिकाएँ यदि हैं।
 - जिस राज्य/संघ शासित क्षेत्र के Quota में प्रवेश चाहा गया है, उसमें आवेदक की पात्रता की वैधता की जांच हेतु आवश्यक दस्तावेज (क) पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का दस्तावेज यथा अंकतालिका/प्रमाण-पत्र या (ख) अधिवास (Domicile) प्रमाण-पत्र या (ग) नियोक्ता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - श्रेणी का वैध एवं नियमानुसार जारी प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई डब्ल्यू एस यदि आवश्यक हो), अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र में आवश्यक रूप से यह दर्शाया हुआ हो कि प्रार्थी Creamy layer से संबंधित नहीं है।
 - विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।
 - अंतिम स्कूल/कालेज का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र (T.C. & C.C.)।
 - वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूपानुसार अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
 - वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूपानुसार अभ्यर्थी को स्वयं व अभिभावक के हस्ताक्षर युक्त घोषणा/प्रतिबद्धता (Declaration/Undertaking) प्रस्तुत करना होगा।
 - अभ्यर्थी को स्वयं व अभिभावक के हस्ताक्षर युक्त वचनबद्धता (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि संस्थान में फेज़ वाइज़ निर्धारित उपस्थिति (Attendance) पूरी न होने पर अभ्यर्थी का छात्रावास या संस्थान या दोनों में प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
 - वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूपानुसार Anti-ragging घोषणा हेतु विद्यार्थी व अभिभावक के लिए क्रमशः आश्वासन (Undertaking by the Student) एवं प्रतिबद्धता (Undertaking by the Parent/Guardian) पत्र Oath Commissioner के हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक प्रारूप Annexure I एवं Annexure II के रूप में संलग्न है।
 - विद्यार्थी का पुलिस विभाग से प्रदत्त पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि संबंधित विद्यार्थी के विरुद्ध किसी तरह का मामला लम्बित नहीं है।
 - कुल परिवारिक (माता एवं पिता) की वित्तीय वर्ष 2025-26 का आय प्रमाण पत्र जो कि दिनांक 01.04.2026 या इसके बाद का जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। माता के गृहणी होने की दशा में पिता की ओर से एक दस रुपये के स्टाम्प पर एक शपथ-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि मेरी पत्नी गृहणी है और पूर्ण रूप से पति की आय पर निर्भर है। यह शपथ-पत्र नोटेरी द्वारा हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तुत किया जाना है।
 - विद्यार्थी के पाँच नवीनतम फोटो।
- (स) काउंसलिंग के तुरंत बाद निर्देशानुसार आपको फीस केवल ऑफलाइन माध्यम से दिनांक **25.08.2026** को सांय 4:00 बजे तक संस्थान के लेखाशाखा कमरा नं.01 में जमा करानी होगी। निर्धारित समय तक फीस जमा न कराने की स्थिति में आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। फीस का विवरण निम्नानुसार है:-

A. General/OBC/EWS Students : Rs.13,250/-

B. SC/ST/PH Students : Rs.8,250/-

नोट : कृपया निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें-

- छात्रावास से संबंधित फीस की प्रथम किस्त (रु.22,200/-) संबंधित विद्यार्थियों से प्रवेश के समय अथवा छात्रावास आवंटन पर वसूली जाएगी।
- विद्यार्थी एवं अभिभावक के लिए निर्धारित Anti-ragging वचनबद्धता/प्रतिबद्धता के अनुसार यह अपेक्षा है कि वे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर की वेबसाइट पर मौजूद रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण लगाने से संबद्ध यू.जी.सी. विनियम 2009 का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे।
- संस्थान में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को MoE के Anti-ragging portal पर भी पंजीयन करवाकर URID Number संस्थान को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

टिप्पणी : आपका अस्थायी प्रवेश रद्द माना जाएगा यदि-

- आपका कोई भी दस्तावेज जाली अथवा झूठा पाया गया।
- सत्र के दौरान किसी भी समय आपके आवेदन-पत्र में कोई भ्रामक कथन पाया गया अथवा तथ्यों को छिपाया गया।
- यदि आवेदक द्वारा CEE-2026 आवेदन फार्म में ऑनलाइन भरे हुए अंक अर्हक/योग्यता परीक्षा (Qualifying Examination) में प्राप्त अंकों में अपूर्ण/गलत प्रविष्टि होने पर।
- प्रवेश पश्चात् अपेक्षित फीस निर्धारित समय तक जमा नहीं कराने पर।
- सत्र के दौरान संस्थान में और बाहर आपका आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने पर।

प्राचार्य



क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग, पुष्कर मार्ग,
अजमेर- 305004

By E-mail

दिनांक 17.08.2026

क्रमांक: 9-बी-1 / प्रवेश / 2026-27 /

विषय : द्वि-वर्षीय एम.एड. प्रोग्राम में वर्ष 2026-27 के लिए प्रवेश के संबंध में।

पंजीकरण संख्या (कृपया पत्र व्यवहार हेतु अपना पंजीकरण संख्या अवश्य लिखें)

- आपको सूचित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र **2026-27** के लिए इस संस्थान में उपरोक्त प्रोग्राम में प्रवेश हेतु प्रतीक्षा सूची में Gen/OBC/SC/ST/EWS/PwD श्रेणी में आपका क्रम सं. संलग्न सूची अनुसार है।
- अस्थायी प्रतीक्षा सूची में से यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो संलग्न सूची के अनुसार आपकी राज्य/वर्ग इत्यादि में आपके अनन्तिम प्रवेश के लिए संस्थान स्तर पर ऑफलाइन काउंसलिंग (offline counselling) प्रक्रिया होगी जिसमें आपको निम्नानुसार भाग लेना होगा।
 - आप दिनांक **25.08.2026** को प्रातः **9.00** बजे इस संस्थान के कक्ष संख्या **102** में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिये उपस्थिति दर्ज करें। आपकी अनुपस्थिति में आपके प्रतिनिधी के उपस्थित होने पर तथा रिपोर्टिंग समय पश्चात् उपस्थित होने पर उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी तथा आपके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग के सम्बंध में किसी तरह की समस्या होने पर 0145-2643760 पर संपर्क करें।
 - ऑफलाइन काउंसलिंग के लिये निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को सत्यापन के लिये अपने साथ रखें।
 - CEE-2026 Online Application Form and Result Card (available on portal <cee.ncert.gov.in>
 - सैकेण्डरी परीक्षा अंकतालिका/सैकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र (जन्म तिथि हेतु)।
 - अर्हक/योग्यता परीक्षा (Qualifying Examination) की अंकतालिका व अन्य अंकतालिकाएँ यदि हैं।
 - जिस राज्य/संघ शासित क्षेत्र के Quota में प्रवेश चाहा गया है, उसमें आवेदक की पात्रता की वैधता की जांच हेतु आवश्यक दस्तावेज (क) पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का दस्तावेज यथा अंकतालिका/प्रमाण-पत्र या (ख) अधिवास (Domicile) प्रमाण-पत्र या (ग) नियोक्ता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - श्रेणी का वैध एवं नियमानुसार जारी प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई डब्ल्यू एस यदि आवश्यक हो), अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र में आवश्यक रूप से यह दर्शाया हुआ हो कि प्रार्थी Creamy layer से संबंधित नहीं है।
 - विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।
 - अंतिम स्कूल/कालेज का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र (T.C. & C.C.)।
 - वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूपानुसार अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
 - वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूपानुसार अभ्यर्थी को स्वयं व अभिभावक के हस्ताक्षर युक्त घोषणा/प्रतिबद्धता (Declaration/Undertaking) प्रस्तुत करना होगा।
 - अभ्यर्थी को स्वयं व अभिभावक के हस्ताक्षर युक्त वचनबद्धता (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि संस्थान में फेज़ वाइज़ निर्धारित उपस्थिति (Attendance) पूरी न होने पर अभ्यर्थी का छात्रावास या संस्थान या दोनों में प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
 - वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूपानुसार Anti-ragging घोषणा हेतु विद्यार्थी व अभिभावक के लिए क्रमशः आश्वासन (Undertaking by the Student) एवं प्रतिबद्धता (Undertaking by the Parent/Guardian) पत्र Oath Commissioner के हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक प्रारूप Annexure I एवं Annexure II के रूप में संलग्न है।
 - विद्यार्थी का पुलिस विभाग से प्रदत्त पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि संबंधित विद्यार्थी के विरुद्ध किसी तरह का मामला लम्बित नहीं है।
 - कुल परिवारिक (माता एवं पिता) की वित्तीय वर्ष 2025-26 का आय प्रमाण पत्र जो कि दिनांक 01.04.2026 या इसके बाद का जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। माता के गृहणी होने की दशा में पिता की ओर से एक दस रुपये के स्टाम्प पर एक शपथ-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि मेरी पत्नी गृहणी है और पूर्ण रूप से पति की आय पर निर्भर है। यह शपथ-पत्र नोटेरी द्वारा हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तुत किया जाना है।
 - विद्यार्थी के पाँच नवीनतम फोटो।
- काउंसलिंग के तुरंत बाद निर्देशानुसार आपको फीस केवल ऑफलाइन माध्यम से दिनांक **25.08.2026** को सांय 4:00 बजे तक संस्थान के लेखाशाखा कमरा नं.01 में जमा करानी होगी। निर्धारित समय तक फीस जमा न कराने की स्थिति में आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। फीस का विवरण निम्नानुसार है:-

A. General/OBC/EWS Students : Rs.13,250/-

B. SC/ST/PH Students : Rs.8,250/-

नोट : कृपया निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें-

- छात्रावास से संबंधित फीस की प्रथम किस्त (रु.22,200/-) संबंधित विद्यार्थियों से प्रवेश के समय अथवा छात्रावास आवंटन पर वसूली जाएगी।
- विद्यार्थी एवं अभिभावक के लिए निर्धारित Anti-ragging वचनबद्धता/प्रतिबद्धता के अनुसार यह अपेक्षा है कि वे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर की वेबसाइट पर मौजूद रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण लगाने से संबद्ध यू.जी.सी. विनियम 2009 का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे।
- संस्थान में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को MoE के Anti-ragging portal पर भी पंजीयन करवाकर URID Number संस्थान को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

टिप्पणी : आपका अस्थायी प्रवेश रद्द माना जाएगा यदि-

- आपका कोई भी दस्तावेज जाली अथवा झूठा पाया गया।
- सत्र के दौरान किसी भी समय आपके आवेदन-पत्र में कोई भ्रामक कथन पाया गया अथवा तथ्यों को छिपाया गया।
- यदि आवेदक द्वारा CEE-2026 आवेदन फार्म में ऑनलाइन भरे हुए अंक अर्हक/योग्यता परीक्षा (Qualifying Examination) में प्राप्त अंकों में अपूर्ण/गलत प्रविष्टि होने पर।
- प्रवेश पश्चात् अपेक्षित फीस निर्धारित समय तक जमा नहीं कराने पर।
- सत्र के दौरान संस्थान में और बाहर आपका आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने पर।

प्राचार्य